निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 01 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून** के माह **07/2015** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री **खजान सिंह,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री **शिवेन्द्र मोरे**, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **02.05.2018** से **07.05.2018** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

(1.) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **टी एस नेगी** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **ललित थपलियाल** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **27.05.2015** से **04.08.2015** तक श्री **पुष्कर**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **07/2014** से **06/2015** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **07/2015** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2.) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सुद्धोवाला, देहरादून

(ii.) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	85.00	80.27	30.38	25.55	-	9.56
2016-17	-	-	190.80	92.54	39.30	31.93	-	99.00
2017-18 (04/18)	-	-	144.80	128.71	33.78	30.97	-	18.89

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है। इकाई कार्यालय, **महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून 'सी'** श्रेणी की है।

महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिरीक्षक, कारागार
अपर महानिरीक्षक, कारागार
उप-महानिरीक्षक, कारागार
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
विधि अधिकारी
मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(iV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छांदित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2017** एवं **08/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, **1971** (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** एवं **16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, **2007** तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ----------

भाग - दो ब

<u>प्रस्तर-1-</u> बिना कोटेशन के रू 1.55 लाख के कम्प्यूटरों का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम-8 के अनुसार जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रू 50,000 (रू पचास हजार) तक हो प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति बिना कोटेशन/निविदा के खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है। नियम-9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर रू 50000 (रू0 पचास हजार) से अधिक तथा 3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तृतियों पर किया जा सकता है। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवतत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगें। नियम-12(1) के अनुसार समिति निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू 60.00 लाख तक हो।

कार्यालय, महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून के कम्प्यूटर क्रय से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 24 मार्च, 2017 को क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर मै0 स्ट्रैटिजिटिक इन्फोरमेसन टैक्नॉलाजिज प्रा0 लि0, राजपुर रोड़, देहरादून से रू 155002 की धनराशि से कम्प्यूटरों का क्रय किया गया था। क्रय समिति द्वारा बाजार में कम्प्यूटर आपूर्तिकर्ता के सर्वे से सम्बंधित दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्परूप लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नही हो पाया कि उक्त चयनित फर्म की दरें अन्य सर्वेक्षण किये गये फर्मों से कम थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि क्रय समिति को उक्त मॉडल के कम्प्यूटर क्रय किये जाने के निर्देश के क्रम में उक्त फर्म से दरें प्राप्त की गयी थी, जो मार्केट में अन्य फर्मे की दरों से न्यूनतम थी। इकाई का उत्तर साक्ष्यों के अभाव में मान्य नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा अन्य फर्मों से कोटेशन/दरें प्राप्त किये बिना ही कम्प्यूटरों का क्रय किया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर:2- रू 58172 का अनियमित व्यय किया जाना।

कार्यालय की वाहनों की लाग बुक की जांच में पाया गया है कि वाहन संख्या यू ए-07 एस 7340 किसी भी अधिकारी को आवंटित न होने के वावजूद भी प्रति माह लगातार चल रही है। जिसमें कुल रू 58172 की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रेट्रोल एवं मरम्मत पर व्यय की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	मै0 मेघदूत सर्विस स्टेशन देहरादून	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1.	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	222	31.1.18	2199
2.	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	5377	28.2.18	11419
3.	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	5357	31.1.18	10926
4.	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	5353	31.12.17	10463
5.	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	5316	30.11.17	8397
	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	6272	30.9.17	6417
	मै0 मेघदूत सर्विस देहरादून	5309	31.10.17	8351
योग:				**58172**

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि महानिरीक्षक, कारागार के आदेश से कार्यालय में कार्यो हेतु प्रयोग में लायी जाती है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन द्वारा वाहन किसी कार्यालय के कर्मचारियों के प्रयोग हेतु प्रदान नही की जाती है। बल्कि उस कार्यालय के पात्र अधिकारी को यह सुविधा दी जाती है।

अत: रू 58172 का अनियमित व्यय का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

<u>प्रस्तर:3-</u> कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी रखा जाना।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के 07 कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष तथा विचाराधीन बन्दियों हेतु कुल स्वीकृत क्षमता 2609 के सापेक्ष निरूद्ध 4484 बन्दी रखे गये है। इस प्रकार 1875 बन्दी अधिक रखे गये है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	**कारागार का नाम**	**स्वीकृत क्षमता**	**कुल निरूद्ध बन्दी**	**अधिक बन्दी**
1.	केन्द्रीय कारागार सितारगंज	512	546	34
2.	उपकारागार रूडकी	244	330	86
3.	उपकारागार हल्द्वानी	260	958	698
4.	जिला कारागार देहरादून	580	1185	605
5.	जिला कारागार हरिद्वार	840	1233	393
6.	जिजा कारागार अल्मोडा	102	129	27
7.	जिला कारागार नैनीताल	71	103	32
योग:				**1875**

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि ओवर क्राउडिंग कम करने हेतु निर्माण कार्य कराये जा रहे है, उपलब्ध कारागार में बन्दियों के निरूद्ध किया जा रहा है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण कारागार में क्षमता से अधिक बन्दियों का रखा जा रहे है।

अत: कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी रखे जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग- दो ''अ''प्रस्तर संख्या	भाग- दो ''ब'' प्रस्तर संख्या	STAN
21/2015-16	शून्य	02	शून्य

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
21/2015-16	प्रस्तर-1 परिहार्य अधिक्य व्यय रू 121.35 लाख।	प्रस्तरों की अनुपालन आख्या की अद्यतन स्थिति वाछिंत	य़थावत	
	प्रस्तर-2 रू0 407.40 लाख (स्वीकृत लागत) व्यय किये जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा उद्देश्य की पूर्ति न होना।	प्रस्तरों की अनुपालन आख्या की अद्यतन स्थिति वाछिंत	य़थावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	डा0 पी0वी0 के0 प्रसाद	महानिरीक्षक कारागार	दिनांक 19.12.2014 से वर्तामान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ''महालेखाकार भवन'' दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़, देहरादून, कृपया लेखापरीक्षा ज्ञाप का अवलोकन करें, यदि आवश्यक हो तो वार्ता करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र